

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कह रही हूँ मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर कहना है और मैं इसेशियल कमोडिटीज एक्ट पर भी कहना चाहती थी, इसलिए मैं कल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। अभी मेरी स्पीच अनकंक्लूडेड रख दीजिये। लेकिन अभी मैं इतनी बात कह कर समाप्त करता चाहूंगी कि इसमें संतुष्ट होने जैसी कोई भी चीज नहीं है मंत्री जी। इसमें बहुत खामियाँ हैं, बहुत दोष हैं। आप जरा एक बार धरती पर उतर कर देखिए, स्वयं निरीक्षण करिये तो आप पायेंगे कि ऐसा सर्टिफिकेट देने लायक कोई चीज उसमें नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Now, the Human Resource Development Minister, Mr Arjun Singh, is to make a statement.

[The Vice-Chairman (Shrimati Sushma Swaraj) in the Chair]

STATEMENT BY MINISTER

Modification to the National Policy on Education (NEP)—1986

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Madam, the National Policy on Education (NPE) was adopted by Parliament in May 1986. A committee was set up under the chairmanship of Acharya Ramamurti in May 1990 to review NPE and to make recommendations for its modifications. That Committee submitted its report in December 1990. At the request of the Central Advisory Board of Education (CABE) a committee was set up in July 1991 under the chairmanship of Shri N. Janardhana Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh, to consider modifications in NPE taking into consideration the report of the Ramamurti committee and other relevant developments having a bearing on the

Policy, and to make recommendations regarding modifications to be made in the NPE. This Committee submitted its report in January 1992. The report of the Committee was considered by the CABE in its meeting held on 5-6 May, 1992. While broadly endorsing the NPE, CABE has recommended a few changes in the Policy.

2. The NPE has stood the test of time. Based on an indepth review of the whole gamut of educational situation and formulated on the basis of a national consensus, it enunciated a comprehensive framework to guide the development of education in its entirety. That framework continues to be of relevance. However, the developments during the last few years and experience in the implementation of the Policy have necessitated certain modifications. The modifications required have been specified in the paper "National Policy on Education, 1986—revised Policy Formulations" laid on the Table of the House. I also lay on the Table of the House the report of the CABE Committee on Policy.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : महोदय सब से पहले मैं इस बात के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में 1986 के संशोधनों के संबंध में उन्होंने एक व्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत किया है और साथ ही केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति संबंधी रिपोर्ट जो श्री जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में तैयार हुई है, उसे भी प्रस्तुत किया है।

महोदय, शिक्षा का ताल्लुक जीवन के ऐसे सिद्धांतों से है, जिसके बारे में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता इस सदन में नहीं है। विशेष तौर से आप भी महोदय, शिक्षा जगत से संबंध रखती रही है और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी, शिक्षा मंत्री के रूप में जब अपने प्रांत में थे, मुख्य मंत्री के रूप में थे, उन्होंने कई सफल प्रयोग कला और संस्कृति के संबंध में और शिक्षा की विविध नीतियों के संबंध में किये हैं।

लेकिन यहां जो व्यक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसका ताल्लुक 1986 की शिक्षा नीती से है, जो तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी ने बहुत परिश्रम के साथ और संसद में काफी उसके उपर बहस-मुबाहसे और गंभीर विचार के बाद उन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद आचार्य राममूर्ति जी की अध्यक्षता में, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के प्रधान मंत्रित्व काल में एक बहुत उच्चस्तीय समिति गठित हुई, जिसने काफी विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1986 की और आचार्य राममूर्ति दोनों की रिपोर्ट्स के संबंध में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने आंध्र के मुख्य मंत्री, श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में पेश की है, जिसके बारे में यह व्यक्त है और जो सभा पटल पर रिपोर्ट रखी गई है।

मैं समझता हूं कि सदन में उस पर विस्तार के साथ और गंभीरता के साथ विचार होने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा जीवन और मानवता की एक ऐसी विधा है कि जिसको लेकर ज्ञान और विज्ञान के कई आयाम हमें मिल सकते हैं।

यहां केवल दो बातों की ओर मैं माननीय संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और बहुत गंभीरता के साथ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विस्तार में नहीं जाना जाऊंगा। मेरे पास बहुत कम समय है और मैं जानता हूं कि क्लैरिफिकेशन में मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता हूं। यह जो शिक्षा संबंधी सलाहकार बोर्ड की नीती रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, इसमें शिक्षा में भाषाये विषय को आपके सामने मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि जिससे कि पूरी रिपोर्ट को एक बार और देखने की जरूरत पड़ेगी।

माननीय उपसभापति जी, इसमें यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें शिक्षा में भाषाये

हैं, जो टेबल की गई है। माननीय मंत्री जी इसका पृष्ठ देख लें—पृष्ठ 42वें पर लिखा हुआ है कि—

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी में विकास के लिए विशेष उपाय, संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक स्तरों के अनु-रक्षण और समन्वय हिंदी और गोरखाली, सथाली, मैथिली और भोजपुरी जैसी अंतर-राज्यीय भाषाओं के विकास और अनुवाद के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें देने की बात की गई है।”

मैं मंत्री महोदय जी, आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वाक्य को तो आप बिल्कुल संशोधित कर लें, माडिफाई कर लें या हटा दे, क्योंकि इससे मामला विवाद में पड़ जाएगा, क्योंकि आपने जिन भाषाओं का जिक्र किया है, इनके बारे में कुछ के बारे में है कि यह भाषाये हैं कि बोलियां हैं, कहना कठिन है। और अगर आपने जैसे मैथिली और भोजपुरी को ले लिया—मैं उदारहण के लिए दे रहा हूं। डा० रत्नाकर पाण्डेय जी जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, वह बैठे हुए हैं—आपने ले लिया सिंधी या दूसरे लोगों का आपने गोरखाली ले लिया है; तो जैसा मणिपुरी को आपने छोड़ दिया, मान लीजिए आपने भोजपुरी और मैथिली को ले लिया, ब्रज, अवधि, बुंदेलखंडी राजस्थानी, सुरसैनी जैसी भाषाये या बोलियां कम महत्व की नहीं हैं। जिस भाषा में या जिस बोली में या जिस आधार को लेकर रामचरित मानस का निर्माण हुआ हो, अवधि का इसमें जिक्र नहीं है। संतों ने जिसमें विपुल साहित्य लिखा है, ब्रज भाषा में, उसका जिक्र इसमें नहीं है।

राजस्थानी में पूरा डिंगल साहित्य हमारा वीर साहित्य भरा पड़ा हुआ है, उस राजस्थानी

[श्री शंकर दयाल सिंह]

का जिक्र इसमें नहीं है। बुन्देलखंडी जहां से स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री जी आते हैं, बहुत बड़ी परंपरा उस भाषा की रही है उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है तो अगर आपने 2-3 भाषाओं का लिया तो देश की पच्चीसों भाषाओं का क्या होगा या बोलियों का क्या होगा ? इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा उनके वक्तव्य के आधार पर कि इसमें आप केवल दें कि भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची भाषाओं के विकास के लिए तथा अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों के विकास के लिए आप ऐसे दें, नाम अगर आपने दिया तो आपकी सूची सुरसा के मूंह की तरह से बढ़ती चली जायेगी। रोज आंदोलन शुरू हो जाएगा, रोज स्कूल-कालेज बंद होने लगेंगे और इसका बारा-न्यास नहीं चलेगा, नंबर एक। नंबर दो, इसमें एक जगह यह लिखा हुआ है कि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली इसमें आचार्य राममूर्ति समिति ने रिपोर्ट दी कि तीनों को एक करके एक एपेक्स बाड़ी बना दी जाए। मुझे खुशी कि आपकी इस रिपोर्ट में इसका विरोध किया गया है कि तीनों अगर एक एपेक्स बाड़ी हो जाती है तो यह बेसंभाल हो जाएगी। तीनों तीन रहें। इसमें थोड़ी सी भूल इस लिखावट में कहीं न कहीं है और किनके कारण है यह मैं नहीं जानता हूं। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के बारे में दिया गया है कि यह केन्द्रीय हिन्दी संस्थान हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान मात्र हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नहीं है बल्कि विदेशी विद्वान या विदेशी लोग जो भारत में हिन्दी पढ़ने आते हैं उसके प्रशिक्षण का भी एक बहुत बड़ा केन्द्र है। यह बहुत बड़ी चीज छूट गई है जिसमें विदेशी विद्वान पूरे दुनिया के हर देश से और भारत सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, करोड़ों रुपया खर्च करके स्कालरशिप देती है, उसका जिक्र तक नहीं है। यह दो

बातों की और मैंने समझा कि बहुत आवश्यक रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। वह भी पृष्ठ 42 पर ही है। आप देख लें। यह बात आई है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो रिपोर्ट आपने हमारे सामने पेश की है उस संबंध में मैं इतना जानना चाहूंगा कि सदन में इस पर कब विस्तार से चर्चा होगी ? जिससे सभी लोग अच्छी तरह से भाग ले सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इतने जल्द इतने कम समय में और जिस तरह से भी हो सके, यह जो रिपोर्ट हमारे सामने इस सत्र के समाप्त होने के पहले लाई है और अपना वक्तव्य दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यावाद देता हूं और बधाई देता हूं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, हम अब तक बहस करते आए हैं कि शिक्षा के बारे में कमेटी बने, कमीशन बने, उसके रेब्यू हो, फिर रेब्यू की रेब्यू हो और हम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जबकि आजादी के बाद हम अपने देशवासियों के सामने यह वायदा किए थे कि सार्वजनिक जो प्राथमिक शिक्षा है, उसे कम से कम हम पूरा कर लेंगे। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में यह नई कमेटी, लेटेस्ट जो कमेटी श्री जनार्दन रेड्डी कमेटी, वह कहती है समय से जो इसका ठीक समझा गया तो यूनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन के बारे में जो रिपोर्ट कही गई और राममूर्ति कमेटी जो बात कही है और जनार्दन रेड्डी कमेटी भी जो बात को मान ली उसके बारे में बजट में जो आपका हिस्सा है एलीमेंटरी एजुकेशन के लिए, तो यह नीति जो आप बात करेंगे वह एक रहेगा और जब आप शिक्षा के प्रसार के लिए काम करेंगे वह दूसरा रहेगा। रुपये के बिना शिक्षा होने वाली नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं ? दूसरा सवाल यह है कि नई शिक्षा नीति के साथ नवोदय विद्यालय का संपर्क जुड़ा हुआ था, तो

अभी आपका यह कहना है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी तो मन्त्रालय विद्यालय के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ यह शिक्षा नीति में साधारण शिक्षा की बात की है, दूसरी तरफ आम जो साधारण स्कूल हैं, जहाँ सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल जो हैं। यहाँ ब्लैकबोर्ड नहीं है, आप आपरेशन ब्लैकबोर्ड में पैसा घटा रहे हैं बजट में और दूसरी तरफ मन्त्रालय विद्यालय के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं और उससे किसको फायदा मिल रहा है ?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि आपने साधारण शिक्षा की बात करते हुए जनार्दन रेडडी कमेटी की रिपोर्ट दे दी। इसमें प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित करने की बात की गई। आज नीचे से ऊपर तक हमारे देश में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण चालू है और यह तेजी से बढ़ रहा है। इससे तो जो हमारा असली मुक़ाबला है गरीब जनता के पास शिक्षा को पहुँचाने का, उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाएंगे ?

इसके साथ ही, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी की तबज्जुह चाहूंगा कि यू०जी०सी० का यह कहना है कि हायर एजुकेशन में जो 1991 का लेवल है उसको कण्टीन्यू करेगी पूरे एट्थ प्लेन के तहत इसलिए कि हम उच्च शिक्षा में एक सेचुरेशन पाइंट पर चले गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब कि पूरे एशिया में स्थिति यह है कि 18 से 25 साल की उम्र के लड़के-लड़कियाँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, 12 प्रतिशत ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा का मौका मिलता है, यह पूरे एशिया का लेवल है और हमारे देश में हम 4 से 4.5 प्रतिशत तक हो गए हैं। 18 साल से 25 साल के नौजवानों को उच्च शिक्षा दिलाने में और उसके बाद हम 1991 के लेवल को रिटेन करेंगे पूरे एट्थ प्लेन के पिरिण्ड में। हमारा जो एवरेज है और

उच्च शिक्षा का जो आप आर्ग्युमेंट दे रहे हैं वह अर्थ बिल्कुल सही नहीं लगता। सरकार भी इस बात को मानती है कि हम 4 से 4.5 प्रतिशत तक उच्च शिक्षा दे पाए हैं। यह तो बिल्कुल आप संतुष्ट कर रहे हैं, 1991 का लेवल रखना मतलब अगले साढ़े पाँच साल तक और इसको और भी संकुचित कर देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1992 में पेश कर दी, जुलाई में कमेटी बनी और जनवरी में कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई, लेकिन आप ले कर रहे हैं टेबुल पर मई महीने में। अब पाँच महीने बाद तो सरकार रिपोर्ट लेकर आई है। इसमें सरकार को यह कहना चाहिए था कि इसके साथ रिव्यू रिपोर्ट सरकार की भी है यानी रिव्यू रिपोर्ट ओन द रिपोर्ट ओन द रिव्यू रिपोर्ट ओन द रिपोर्ट ओन द रिव्यू रिपोर्ट। सरकार को बताना चाहिए था कि जनार्दन रेडडी रिपोर्ट की यह बात समय की कसौटी पर मान ली है, इसको हमने तय कर लिया है और यह-यह हम मान नहीं सकते, इसी तरह राममूर्ति कमेटी की जो अच्छी बात है उसको हम यहाँ तक मान लेते हैं। अगर यह होता तो फिर यह सिंगल पेज का कागज यहाँ नहीं आता। जनवरी से मई तक सरकार वाकई गंभीरता से लेती तो यह एक रिव्यू रिपोर्ट आती सरकार की, डिपार्टमेंट की, कि डिपार्टमेंट यह चाह रहा है। इसे भी सदन के सामने ले आते कि यह भी जनार्दन रेडडी की रिपोर्ट यह थी राममूर्ति रिपोर्ट और यह थी एन०पी० ई० 1986 और इनमें सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट यह चाह रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह-यह काम करेगा। इसके बारे में कोई भी बात नहीं है।

सवाल फिर आखिरी यह आता है कि हमारे देश में यह जो नई नीति, दोहरी शिक्षा जो चल रही है उसको और भी प्रोत्साहन देंगे तो हमारे यहाँ जो आम जनता है, जिनके पास

[श्री मोहम्मद सलीम]

यूनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन देने बारे के जो वादा है वर्षों पहले का, उसका क्या होगा ?

श्री محمد سلیم "پیشگی بنگال" آپ سہاؤ دیکش
مہود دیہ۔ ہم اب تک بحث کرتے آئے ہیں۔
کہ شکشا کے بارے میں کمیٹی بنے۔ کمیشن بنے
اسکے ریویو ہو۔ پھر ریویو کی ریویو ہو اور
ہم کس راستہ پر آگے بڑھیں گے جبکہ آزادی
کے بعد ہم اپنے دیش واسیوں کے سامنے یہ
وعدہ کئے تھے کہ سارو جنگ جو پرا تھک
شکشا ہے اسے کم سے کم ہم پورا کر لیں گے۔
تو میں منتری مہودے سے یہ پوچھنا چاہتا
ہوں کہ آپ نے راشٹریہ شکشا نیتی کے بارے
میں یہ نئی کمیٹی۔ لیٹیسیٹ کمیٹی جو تھی جنار دن
ریڈی کمیٹی۔ وہ کہتی ہے سمسے سے جو ہے اسکا
ٹھیک سمجھا گیا تو یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن
کے بارے میں جو رپورٹ کہی گئی اور رام موہتی
کمیٹی نے جو بات کہی ہے۔ اور جنار دن ریڈی
کمیٹی بھی جو بات کو مان لی۔ اسکے بارے میں
بحث میں جو آپ کا حصہ ہے۔ ایلیمنٹری
ایجوکیشن کیلئے تو یہ نیتی کے لیے جو آپ بات
کریں گے۔ وہ ایک رہے گا۔ اور جب آپ
شکشا کے پر سار کے لیے کام کریں گے وہ
دوسرا رہے گا۔ روپے کے بنا شکشا ہونے
والی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا
دچار کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نئی

شکشا نیتی کے ساتھ نوادے ودھالیہ کا سپرک
جرٹا ہوا تھا۔ تو ابھی آپ کا یہ کہنا ہے اس میں
ایک راشٹریہ شکشا نیتی سمے کی کسوٹی پر کھری
اتری ہے۔ تو نوادے ودھالیہ کے بارے
میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف
آپ کی یہ شکشا نیتی میں سادھارن شکشا کی
بات کی ہے۔ دوسری طرف عام جو سادھارن
اسکول ہیں۔ جہاں سنگل ٹیچر پرائمری اسکول
جو ہیں۔ یہاں بلیک بورڈ نہیں ہیں۔ آپ
آپریشن بلیک بورڈ میں بیسہ گھڑا ہے ہیں
بحث میں اور دوسری طرف نوادے ودھالیہ
کے لیے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں اور اس
سے کس کو فائدہ مل رہا ہے۔

تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے
سادھارن شکشا کی بات کرتے ہوئے
جنار دن ریڈی کمیٹی کی رپورٹ دیکھا اس میں
پرائیویٹ اسکولوں کو پوتساہت کرنے
کی بات کہی گئی۔ آج نیچے سے اوپر تک
ہمارے دیش میں شکشا کا پرائیویٹائزیشن
بجیکون چالو ہے اور یہ تیزی سے بڑھ
رہا ہے۔ اس سے تو جو ہمارا اصلی مقصد
ہے غریب جتنا کے پاس شکشا کو پہنچانے
کا۔ اس میں ہم کہاں تک سبیل ہو یا نہیں گئے
اس کے ساتھ ہی۔ میں مانو سنا دھن
وکاس منتری جی کی توجہ چاہوں گا کہ ...

یو جی۔ سی کا یہ کہنا ہے کہ ٹائر ایجوکیشن میں جو ۱۹۹۱ کا لیول ہے اس کو کنٹی نیو کرے گی۔ پورے ایٹھ پلان کے تحت اس لئے کہ ہم آج شکشا میں ایک اسپریشن پوائنٹ پر چلے گئے ہیں۔ اب سبھاؤٹیکشن مہورے۔ جبکہ پورے ایشیا میں استحقاق یہ ہے کہ ۱۸ سے ۲۵ سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں جو آج شکشا پر اپنا کرتے ہیں ۱۲ پر مشیت ایسے لوگوں کو آج شکشا کا موقع ملتا ہے۔ یہ پورے ایشیا کا لیول ہے اور ہمارے دیش میں ہم ہم سے ساڑھے ۴ پر مشیت تک ابھی گئے ہیں۔ ۱۵ سال سے ۲۵ سال کے نوجوانوں کو آج شکشا دلانے میں اور اس کے بعد بھی ہم ۱۹۹۱ کے لیول کو دینا کریں گے پورے ایٹھ پلان کے سپر ٹیڈ میں۔ ہمارا جو ایوریج ہے اور آج شکشا کا جو آپ اگر گورنمنٹ دے رہے ہیں وہ ارتھ بالکل صحیح نہیں لگتا۔ سرکار بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ہم ہم سے ساڑھے چار پر مشیت تک ہی آج شکشا دے پاتے ہیں۔ یہ تو بالکل آپ سنجکتہ کر رہے ہیں۔ ۱۹۹۱ کا لیول رکھنا مطلب اگلے ساڑھے پانچ سال تک اور اس کو اور بھی سنجکتہ کر دیں گے۔

اب ادھیکش مہورے۔ یہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ جنوری ۱۹۹۲ میں پیش کر دی۔ جولائی میں کمیٹی بنی تھی اور جنوری میں کمیٹی کی رپورٹ پیش ہو گئی۔ لیکن آپ سے کہ رہے ہیں کئی مہینے میں ٹیبل پر۔ اب پانچ مہینے بعد تو سرکار رپورٹ لے کر آئی ہے۔ اس میں سرکار کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک ریویو رپورٹ سرکار کی بھی ہے لیکن ریویو رپورٹ ملن لکھی رپورٹ آن دی رپورٹ آن دی رپورٹ آن دی رپورٹ۔

سرکار کو بتانا چاہیے تھا کہ جناردن ریڈی رپورٹ کی یہ بات سمجھ کی کسوی پکمانا ہے۔ اس کو ہم نے ملے کہ ایسا ہے اور یہ یہ ہم مان نہیں سکتے اس طرح عام صورتی کمیٹی کی جو ابھی بات ہے اس کو ہم یہاں تک مان لیتے ہیں کہ یہ ہوتا تو پھر یہ سنگاپور کا کاغذ یہاں نہیں آتا۔ جنوری سے مئی تک سرکار واقعی اسے سمجھتا رہے تھے تو یہ ایک ریویو رپورٹ آئی سرکار کو۔ ڈیپارٹمنٹ کی کہ ڈیپارٹمنٹ یہ چاہ رہا ہے۔ اسے بھی سڈن کے سامنے سے آئے کہ یہ تھی جناردن ریڈی کی رپورٹ۔

یہ تھی رام مورتی رپورٹ اور یہ تھی
این۔پی۔آئی۔ ۱۹۸۶ اور ان میں سرکار
ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ، یہ چاہ رہا ہے
مانوسسٹائن وکاس منسٹر ایسے
یہ کام کرے گا۔ اس کے بارے میں
کوئی بھی بات نہیں ہے۔
سوال پھر آخری یہ آتا ہے

کہ ہمارے دلش میں یہ جو نئی نیتی
دوسری شکشا نیتی جو چل رہی ہے اس
کا اور بھی پروتساہن دیں گے تو ہمارے
یہاں جو عام جلتا ہے جن کے پاس
یونیورسل ایلی منسٹری ایجوکیشن دینے
کے بارے میں جو وعدہ ہے وہ شوں
پہلے کا۔ اس کا کیا ہوگا۔

श्री राम नरेश धावव (उत्तर प्रदेश) :
महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो राष्ट्रीय
शिक्षा नीति के संबंध में वक्तव्य दिया है, वास्तव
में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर देश के विद्वानों
ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीरता के साथ
विचार किया। समय-समय पर आयोग भी
गठित किए गए। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति
सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन जी ने भी देश की
स्थिति को सामने रखकर बहुत सी बातें कहीं।
वर्ष 1966 में कोठारी आयोग की नियुक्ति
हुई और 1968 में उसकी सिफारिशों के
आधार पर कुछ किया गया। राजीव गांधी जी
ने जनवरी, 1985 में इस बात की घोषणा की
कि देश की आवश्यकता को देखते हुए एक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक पैमाने पर तैयार की
जाए, जो यहां की परिस्थिति को ध्यान में रखते
हुए लागू की जाए और उसके परिणामस्वरूप
सन् 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर नई शिक्षा नीति
लागू कि गई। इस बीच में कुछ और भी परिवर्तन
हुए राजनैतिक तौर पर सत्ता में; उसके बाद
राममूर्ति कमेट्री नियुक्त हुई, जिसका कि
विवरण माननीय मंत्री जी ने अपने इस वक्तव्य
में रखा है। और फिर उन्होंने सारी चीजों को
ध्यान में रखने के बाद कुछ अपनी संस्तुतियां
भी दी, उनके आधार पर; वैसे जो 1986 में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई थी, उसको
तो उन्होंने भी स्वीकार किया लेकिन कुछ स्थानों
पर परिवर्तन करने की बात जरूर की गई।
मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं
कि आज जो वर्तमान रूप में शिक्षा की स्थिति
है इसमें विशेष रूप से दो चीजें देखने को मिलती
हैं। पहली बात यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र
में बजट का ऐलोकेशन होना चाहिए, कोठारी
आयोग ने भी उसके बारे में सिफारिश की थी;
इतना बड़ा ढांचा पूरे देश में है और जिस ढांचे
के आधार पर हमारे देश का सर्वांगीण विकास
निर्भर है, ऐसी स्थिति में बजट में जिस तरह का
ऐलोकेशन शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है,
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि
आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें
कि गांव के बच्चे प्राइमरी स्कूल तक पढ़ने जाते
हैं, जब आप कहते हैं कि हम शिक्षा का सार्व-
भौमीकरण करने जा रहे हैं, हमारी 1986
की शिक्षा नीति में यह बात कही गई थी, उस
बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राइमरी स्कूल
में वह बच्चे आते हैं, उसके बाद जूनियर हाई
स्कूल में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो ड्राप
आउट है और विशेष रूप से बस्तियों का जो
ड्राप आउट को, क्योंकि कुछ गांव की कुछ
विशेष परिस्थितियां हैं—गरीब बच्चे हैं, उनकी

घरों में भी काम करना पड़ता है तथा पिता के साथ भी काम करना पड़ता है और उस आधार पर गैर-औपचारिक शिक्षा की भी घोषणा की गई थी, जो लागू भी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे कदम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर उठाए जा रहे हैं ताकि वह ड्राप आउट कम हो सके और वे हमारे बच्चे, जिनके लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, उनको कौन सी विशेष सुविधाएं दी जा रही है ? विशेष रूप से हमारे ट्राइबल वर्ग के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे हैं, आदिम जातियों के बच्चे हैं, कबायली लोग हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए कि उनके बच्चे स्कूलों में जाएं और घर का भी काम कर सकें, उनके लिए किस तरह से मंत्री जी व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है शिक्षा के व्यवसायीकरण का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस तरह से बेकारी फैल रही है और राष्ट्र की जो प्रचुर क्षमता है, मानव शक्ति है, उस मानव शक्ति का इस्तेमाल अगर कहीं किसी तरह से, किसी आधार पर हो सकता है तो वह शिक्षा कर सकती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमने ध्यान नहीं दिया तो यह जो हमारी मानव शक्ति है, जो देश के सर्वांगीण विकास का आधार बन सकती है, वह कभी-कभी दूसरी दिशा में जाने लगता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए और व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए आप कैसे यूनिवर हाई स्कूल से लेकर ऊपर तक इस बात की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि वह सफल हो सके ?

तीसरा प्रश्न मेरा इस संबंध में यह होगा कि यह शिक्षा का सार्वभौमिककरण है, जो अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि सचमुच में बहुत ही शिक्षा की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है और जब निचले

स्तर की शिक्षा खराब हो जाएगी तो फिर उच्च स्तर तक जाते-जाते यह शिक्षा बहुत ही खराब बन जाती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं पर स्कूल है तो अध्यापक नहीं है, एक-एक अध्यापक हैं और कहीं-कहीं तो एक अध्यापक, जैसा कि शिक्षा की चुनौती में खोज के आधार पर दिया गया था, एक अध्यापक दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे देता है कि आप देखते रहिए, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए एक तो अध्यापकों की कमी और ब्लैक बोर्ड अपरेशन को जो शिक्षा प्रणाली में लागू किया गया है, उसका सफल कार्यान्वयन करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ? क्योंकि देश के अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमको खड़ा करना है इस दिशा में तो शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। यह पब्लिक स्कूल आज क्यों खुलते जा रहे हैं ? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमारे बच्चों को वहां पर शिक्षा ठीक मिलेगी तो यह जो पब्लिक स्कूल खुलते जा रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, आपने नवोदय विद्यालय की स्थापना की है लेकिन नवोदय विद्यालय के माध्यम से जो अपेक्षा थी, वह नहीं सम्पन्न हो रही है। इसलिए इस दूरी को कम करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसमाध्यक्ष महोदय, हमारे सुयोग्य मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने बहुत सी वाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस सदन में प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सन् 1986 में जब राजीव गांधी जी ने संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय कराया तो उससे पहले 27 कमेटीयों ने इस पर कार्य किया था। मुझे भी तो

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कमेटियों में काम करने का मौका मिला था। फिर उसके बाद आदरणीय राममूर्ति जी की रिब्यू कमेटी बनी। पिछली सरकार और राममूर्ति जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल लिगर करने के लिये और हमारी पिछली सरकार ने कुछ कर दिया है, उसकी खामी निकालने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था। आन्ध्र प्रदेश के हमारे मुख्य मंत्री एन० जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित हुई और फिर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार किया गया और सभी ने व्यापक रूप से इसका समर्थन किया और कोई खास मोडिफिकेशन उसमें कहीं नहीं हुआ। वास्तव में सकल आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। सच्चाई है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से धनराशि आवंटित करने में शिक्षा की उपेक्षा की गयी है, वह राष्ट्र के लिए चिंता की बात है, दुख की बात यह और मैं विश्वास करता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके 6 प्रतिशत नहीं तो कम से कम 4 प्रतिशत धनराशि आठवीं पंचवर्षीय योजना में लेंगे चाहे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन हो, नवोदय विद्यालय हो, चाहे ग्रामीण तकनीकी सम्बन्धपूर्ण शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे डिग्रियों से अलग रखकर के प्रतिशत करने का कार्यक्रम हो अथवा राजीव जी ने उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अति प्राचीन क्लासिक लैंग्वेज के डबलपमेंट की बात की थी और उनको शिक्षा में इंटरोड्यूज कराने की बात की थी। लगता है कि उसे एकदम छोड़ दिया गया है और क्लासिक लैंग्वेज के डबलपमेंट के लिये और आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा पद्धति पर चल रही है और

बेकार क्लर्क बनाने के कारखाने हमारे शिक्षा संस्थान हैं। तो शिक्षित होने के बाद जो बेकारी की परसंतेज बढ़ रही है, उसको कम करने के लिये, उसको समाप्त करने के लिये आपके पास क्या योजना है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और बार-बार हम इंजीनियरिंग कालेज में मेडिकल कालेज में और बहुत से कालेज में केपिटेशन फी लेने की बात उठाते हैं। एक तरह का उत्कोच देकर के, डोनेशन देकर के हम एडमिशन कराते हैं। जो दो नम्बर का धंधा करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों का तो एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उनके पास फालतू पैसा होता है। लेकिन जो छात्र अपनी प्रतिभा के बल पर आते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो डोनेशन और केपिटेशन फी वाली जो परम्परा है, उसको एक झटके में समाप्त करने के लिये आपकी सरकार क्या कर रही है?

हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी हुई है। जब माननीय शिव शंकर जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो आई० टी० आई० में परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी के साथ हिन्दी कराया गया और आई० टी० आई० में भारतीय भाषाएं करायी गयीं। लेकिन अभी भी दर्जनों संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत ऐसे हैं जहां अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी हुई है और छात्रों को अंग्रेजी में ही प्रश्न-पत्र का उत्तर देना पड़ता है। उसको समाप्त करने के लिये आप क्या कर रहे हैं? जो हिन्दी-राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त लोग हैं, वह आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या आई० एफ० एस० आदि की परीक्षा में, वे अंग्रेजी न जानने के कारण नहीं बैठ पाते हैं। उनकी प्रतिभा को नियोजित करने के लिये आपने क्या योजना बनायी है?

अंत में, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के जो हमारे मूलभूत

तत्व हैं, जिनमें भाषाओं के माध्यम से विश्व हिन्दी सम्मेलन सन् 1983 में हुआ और उसके बाद वह स्थगित हो गया और उसे वोल्युंटरी इंस्टीट्यूशन करते हैं ठीक है। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश, गृह मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय इन चारों का समन्वय होता है, तब कोई संस्था इसको करती है। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और कब तक कराएगी? इंदिरा जी ने वचन दिया था तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में कि हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, उस समय की प्रो-सोडिज निकाल कर देखा जाए, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि हमारे मानव संसाधनमंत्री जो इंदिरा जी की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके कमिटमेंट्स पर चलने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों में से हैं। तो हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसको यू.जी.सी. ने टर्न डाऊन कर दिया था अपने विवेक की अधिकता या विवेक की शून्यता के कारण उसको स्थापित करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं इतनी चीजें जानना चाहता हूँ।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa) : Madam Vice-Chairman, the statement is very short and we have no access to the Committee report. Though it is tabled, it is not available. So, briefly I would say that the education policy of our country is a colonial legacy, handed over to us by our colonial masters and for decades together we have been clinging to the same policies though those people have left this place and changed their own policies.

Madam, this education policy is not relevant to the modern times, the changing times. The very fact that committees and sub-committees are appointed to review, modify and remodel this policy shows that all is not well with this policy. Therefore, it is high time that we totally replaced this policy and came with a new policy, our own policy, rather than modify the old colonial policy.

Madam, when this policy was announced, education being a State subject, directives were issued by the Central Government to the State Governments. This new policy had a lot of financial implications for the States whereby the teaching community was entitled to more remuneration. As no funds were coming forth from the Central Government to the State Governments, this policy was a failure. There was discontent among the teaching community and that policy never took off. So I would like to ask the Minister of Human Resource Development whether the Centre will undertake the burden of the financial implications because most of the States cannot afford to implement this policy financially. Directives went from the Central Government to my State Government but those directives were not adhered to, they were just being defied, and they said they were only "directives" from the Centre. So I would request the hon. Minister to see that provision is also made, along with the directives, for assistance to match the financial implications.

Madam, the second thing that I would like to tell the hon. Minister is, this report is quite an outdated report because, in view of the new liberalized industrial policy, stress has been laid on self-employment. In view of this, the 1986 National Education Policy becomes irrelevant and obsolete. I want to know whether the hon. Minister would consider redrafting this policy in view of the changed circumstances in the country. That's all.

Thank you, Madam.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh) : Madam, there are a few specific points which I want to request the hon. Minister to consider. One is that there is no policy for the children of Service Officers who have transferable jobs. I am not talking about the schooling level; I am talking about entrance into professional colleges. Quite often the State Government's policy differs from what the Centre says. So it happens that when a man retires and his child wants to have admission into a professional course, they say you are not a resident of the State for the past five years and so you cannot be admitted. And when

[Shrimati Ranuka Chowdhury]

the child goes back to the place where the father was born or belongs to, then that State says, 'since you have not been a resident of the State for the last five years, you are not entitled. So they become no-way children. Madam, I know it because I myself am a victim of one of those.

The second factor which I think, as a student of psychology, very important is, we do not associate education with recreation for development. Most of the schools are holes in the walls and children are growing up there under the most stressful conditions. Education today is stress, and this is a medically borne out testimony because there are more and more stress-induced disease in the Indian school-going child. They carry so many books. They have no outlet. The curriculum that is set for them at the primary school level is so cumbersome that they have to come home, have tuition, do home work and go back, and as a mother, I object to that.

Then, Madam, we have to have compulsory vocational guidance and counselling at the 7th standard in all government schools because there is a high drop out level even today at the 10th standard, and worse, at the 12th standard, is the drop-out rate. If we were to give vocational guidance and counselling, we would see the aptitude of the child and perhaps train the child in skills as well as give him academic qualification so that the opportunity of self-employment will be higher for them.

Madam, as a woman I am requesting that we must have an incentive for teachers who recruit girl-child in the rural area school. We have got to encourage girls to come into the educational mainstream. When I go to districts, I find that there are very few girl-children who are recruited in the primary schools under the government education scheme.

Madam, I also want to request for this. This is something that I have carried out individually as an experiment. In our small group of industries we give an education allowance to our workers', industrial workers' children. When the school report comes in, the man takes his salary. It is linked

to it so that he realises it is important for the child to be educated.

Madam, there is no policy which is given to our schools at any point to make the child aware of the environment and environmental care. Environment today is if global concern. If we want the tomorrow's generation to benefit, they have to learn now at primary school sections. So, this has a wider umbrella. The Minister has to evolve a policy whereby the corporations which allot lands to schools will see to it that it is mandatory that they have so many trees, that the children plant trees every year and that there is an environmental policy which is given out to children to be practised constructively.

The other thing that fascinates me is the 12th class examination which is nothing but torture for both the child and the parents and the entire educational system. We know as parents that we break our arms and legs to educate our children up to 12th standard. Now we have schools supposedly equipped to teach our children to pass the examination that is set by the Government, approved and acknowledged to pass the 12th standard. Why then pray, do our children have to undergo another set of entrance examination as will be the case for most children who pass out the 12th examination? From this month till the end of June they are appearing for entrance examinations at various places. The banks benefit, private tutorials benefit and everybody else benefits except the parent and the child. Then, Madam, let the schools be declared as tutorial centre so that they can teach and prepare the children to go out and try to take examinations in universities or schools. But this thing cannot be done. For the 12th internal examination of the school they have to pass an examination, and for the next three months appear at various centres. I can understand if it is a professional course that they are appearing for. Yes, its requirement is different. But then, how does your school education equip you to enter that? So, there has got to be some connecting factor between these to make a more comprehensive policy which can be applicable to a much larger, broad-based system.

Then, Madam, I also request that in view of the large-loomed educated unemployment that we are left with in the country—this is something slightly outside the hon. Minister's perspective, but may be this may be mentioned. (Time bell) if the children who pass out of junior college as it is known, can go in for compulsory military service for two years like Europe does, (a) we do give them a positive goal towards which to work and (b) we start nation-building. This is very very vital for us. What we find is that half the children today do not even know the National Anthem Madam, I am deeply concerned about that. Schools have not taken any time off to apply themselves to that. I know the Minister made a concrete effort. There was a survey to try to find out how effective schools were, what measures they were taking to make children nation-conscious. Madam, perhaps this would mean that if for two years children can do compulsory military service, girls and boys—they may not ever see action—then, they will know what it is to be a disciplined Indian, and may be we would work towards a better country.

These are a few suggestions. Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह रिपोर्ट अभी हम लोगों के सामने नहीं है पर टेबल पर आ गई है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने साहस से रिपोर्ट पर बयान देकर सदन में आकर हम लोगों से बातचीत की। महोदया, इस देश की गुलामी का कारण लगातार 1500 वर्षों तक हमले का कारण, हमला झेलने का कारण एक ही है कि ब्राह्मणीकल सोसाइटी ने माथ और हाथ का साथ छोड़ दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुष्मा स्वराज) : आप प्रश्न पूछिये। भूमिका में समय मत निकालिये।

श्री राम अवधेश सिंह : जब मैं खड़ा होता हूँ आप रोकिये नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुष्मा स्वराज) : समय का ध्यान रखिये। प्रश्न कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं बुनियादी सवाल पर ही आ रहा हूँ। दो-तीन मिनट आप सुन लीजिए। यह देश बार-बार गुलाम हुआ है, ऐसा देश जो गरीब नहीं था। दुनिया में देश गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं। वे हमले के शिकार होते हैं, वे हारते हैं लेकिन भारत एक मजबूत देश था, सम्पन्न देश था, सोने की चिड़िया था लेकिन इस सब के बावजूद यह बार-बार विदेशी हमलों का शिकार हुआ और 1500 वर्षों तक लगातार गुलाम रहा, डेढ़ सौ वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। क्या कारण है? गरीब नहीं था था, मजबूत होने के बावजूद होने के बावजूद भी क्यों हमलों का शिकार हुआ इसका कारण है माथ और हाथ का साथ नहीं था। जो दिमाग से काम करते थे वे दिमाग का काम करेंगे और बाकी लोग हाथ के काम करेंगे ब्राह्मण पढ़ते थे। समाज के जो मुट्ठीभर लोग थे वे ही पढ़ते थे बाकि सब लोग काम करते थे आज 44-45 वर्ष के बाद भी वही मेकेनिज्म घूमफिर कर दूसरे रूप में कांग्रेस की हुकूमत ने किया कि पढ़ाई पर खर्च बहुत कम किया। जबकि आजादी के दौरान-दौरान गांधी के दो नारे थे। एक तो हर व्यक्ति को प्राइमरी शिक्षा दी जायेगी और दूसरे डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर और इकोनोमी जो सोसैज नहीं किया जायेगा। कन्जमेशन की, उपयोग की जो चीजें हैं, बुनियादी जो चीजें हैं वे गांव में बनेगी। दोनों को हुकूमत ने पिछली 45 साल में झुठला दिया। इसलिए कह रहा हूँ घूमफिर कर वही काम हो रहा है पढ़ने मत दो लोगों को। आप शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं? इस साल का जो बजट आया है उसमें योजना व्यय का 952 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं उसमें से मात्र 48 हजार इस पर खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है 2.2 परसेंट योजना व्यय का खर्च कर रहे हैं इस मानव विकास पर। आप कल्पना कर सकते हैं इसका मतलब क्या है। कौन लोग पढ़ेंगे? जिनके पास पैसा है, जो शासक वर्ग है वही पढ़ेगा। जो कमेरा वर्ग है, पक्षीना गिराता

[श्री राम अवधेश सिंह]

है, खेतों में काम करता है, गिट्टी तोड़ता है, कारखाने में भट्टी के सामने खून बहाता है उसका बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ, बहादुर शिक्षा मंत्री है, कल्पनाशील मंत्री है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर आपका क्या रुख है। क्या वहीं ढाक के तीन पात वाली बात रहेगी? मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो संविधान हमने प्रतीक्षा की डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों तक को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी वह सपना कहाँ गया। क्या उसकी ओर हम बढ़ेंगे? क्या राजीव गांधी की जो नई शिक्षा नीती थी उसमें इसका प्रावधान था और अभी जो जनार्दन रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें अनिवार्य समान शिक्षा की बात है अगर यह व्यवस्था कर दी जाए तो जो आरक्षण का आज झमेला है वह अपने आप खत्म हो जायेगा। लेकिन सब के लिए समान और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। जब आप यही नहीं कर सकते हैं तो यह झमेला तो खड़ा होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? शिक्षा पर आप कितने परसेंट खर्च करने जा रहे हैं? आप अपने पूरे बजट का हिसाब लगाइये तो पता चलता है कि शिक्षा पर 15 परसेंट खर्च होता है और केवल योजना व्यय को लिया जाए तो वह 2.5 परसेंट है। इस हिसाब से शिक्षा का क्या होगा?

मैं केवल दो तीन सवाल करना चाहूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आप अब समाप्त कीजिये।

श्री राम अवधेश सिंह: जब आप वहाँ पर बठती हैं तो हमारी आशा बढ़ जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि संस्कृत की आठवीं सूची में है। यह एक क्लिष्ट भाषा है। उससे बहुत ही मुलायम भाषा जो जल्दी समझ में आ जाती है और ग्रह्य है वह पाली है जो दुनिया के दो तिहाई लोगों की भाषा है। चाहे कोई किसी भी

मजहब का हो, किसी भी दर्शन का हो, इस भाषा को समझ सकता है। संख्या की दृष्टि से दुनिया में यह दूसरे नम्बर की भाषा है। इसलिए इसको आप क्यों नहीं आठवीं सूची में रखते हैं? बौद्ध दर्शन जो भारत का सबसे बड़ा दर्शन है, विश्व का बड़ा दर्शन है, उसकी भाषा पाली है। ऐसी स्थिति में पाली को आठवीं सूची में क्या हर्ज है? क्या मंत्री जो पाली भाषा को आठवीं सूची में रखेंगे? . . . (व्यवधान)। पाली एक जन भाषा है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली में किया गया, संस्कृत में नहीं किया गया। आज कम्पीटीटिव इक्जामिनेशन्स में संस्कृत को इसलिए रखा गया है कि पंडित लोग काफी देखते हैं और आई. ए. एस. की परीक्षा में इसको रखा जाता है और 92 परसेंट, 98 परसेंट नम्बर दे देते हैं। पंडित लोग संस्कृत और मैथिली ले लेते हैं और आई. ए. एस. और आई. पी. एस. हो जाते हैं क्योंकि उनको नम्बर ज्यादा मिल जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आप पाइन्टड सवाल कीजिये।

श्री राम अवधेश सिंह: महोदया, यह सबसे बड़ा पाइन्ट है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर आज भी मुट्ठी भर 55 और 56 परसेंट इन लोगों का राज है . . . (व्यवधान)। आम आदमी के लिए भी यह रास्ता खुलना चाहिए अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आचार्य राममूर्ति कमेटी ने भी अनुशांसा की थी और जनार्दन कमेटी ने भी अनुशांसा की थी उसके आधार पर नई शिक्षा नीती खड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है क्योंकि ऐसा न हो कि वी. पी. सिंह की सरकार ने राममूर्ति कमेटी तो आपने बनाई जनार्दन कमेटी बनाई। इसमें क्या कोई बुनियादी फर्क है, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

अंत में मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि पाली भाषा को आठवीं, अनुसूची में जोड़ा जाएगा या क्या किया जाएगा, इस पर खासकर मंत्री जी अपना व्यक्तव्य दें।

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) : Madam Vice-Chairman, I would like to begin by paying my compliments to the then Prime Minister, late Shri Rajiv Gandhi, for conceiving the Human Resources Development Ministry. For education, we used to have a Minister of Education. But he conceived the idea of a totality of human resources development of which education is an important part. Education is a very important basis of our national development.

Going back to another Gandhi, Mahatma Gandhi, he laid a very strong emphasis on education, started *buniyadi talim* and a variety of ideas right from 1930's. Unfortunately where are we today? I was surprised to read that the NPE has stood the test of time. I think we have to see to what extent it has stood the test of time. I would like to ask where are we today? The hon. Minister has great experience in villages, rural areas and urban areas. I have a little experience. But earlier, I had a rural constituency. You go to villages. You go to municipal schools in towns. You should go really without announcing that a Minister is coming. It should be a surprise visit. You will find that at some places there are no teachers; there are no facilities in some; in some there is not even a reasonable roof above the school; and where there is some, you will find a very large number of students in a class. (*Inter-ruptions*). राम अवधेश जी, हम ने आप की शान्ति से सुना था। There are a large number of students in a class which is unmanageable by any teacher. Really, imparting education does not take place despite spending large sums of money—which, in any way, much less than what it ought to be—and we should also find out what part of the funds really goes into training and imparting education. I heard the presentation of a very learned person a couple of years back which brought out something like this. I may be slightly different from the exact fact. This is it:

...that by AD 2010 India will have the largest number of illiterates in the world."

By the rate at which we are growing, we will have the largest number of illiterates in the world. In this context, we have to see how we are spending the money. Will the hon. Minister try to look at human resource development in that sense. We have to see what the real use of the fund is in imparting education. Our experience is this. I have a granddaughter whose father is a Dutchman. She is four years old. She lives in Holland. The first thing she does when she gets up in the morning is to tell her mother, "Get me ready quickly. I want to go to school." What happens in our country? Children cry when they are taken to school. This is what we have to look at.

Now, I come to a couple of suggestions that I want to make. The basis of education has to be to form a national temper designed to the national philosophy. We have a slogan, '*mera Bharat mahan*'. I think larger funds should be given not only through the Ministry but through the States because the States have also to do that, to bring up our children, to create the real *mera Bharat mahan*. That can come only through a proper development and formation of the national temper. There was a talk about vocational education and the hon. Minister has also referred to it. I wrote to the hon. Minister some four months back bringing it to his notice that there were two aspects of vocational education. Firstly, we should give the them required facilities. Secondly, even now there is no specific curriculum for training the teachers who can give the vocational education and training. We have compelled schools to have vocational education. But the teachers are not qualified or trained. We will again be spending money, showing that we are having vocational education. Will the hon. Minister enlighten us whether we have designed and put into effect a curriculum to train teachers in vocational education and training. If we do not have, what is the plan of action that we are likely to make?

I will take just two more minutes, Madam. Though we have the second largest population in the world, in the last ten years, we have seen that we have won not a single gold medal, hardly a silver medal

(Shri Viren J. Shah)
and with great difficulty a bronze medal, in international events like Olympics or athletics. Why is it so? Could we have a definite policy? Looking at young talent is a part of human resource development. China does that in a different manner. We can use our own methods for training talent for sports, for athletics and provide proper facilities, playing fields, gymnasiums, playing kits and the right kind of guidance.

Madam, lastly, the only answer as I see to serious national problems that we have been facing, particularly during the last 15 years, in diverse fields, social problems, problems in different States the situation of people wanting to secede from the country, the infighting, the only answer could be character building through education in the right sense of the term, education as understood by us or explained to us by Mahatma Gandhi or by Swami Vivekanand and many others. Unfortunately, one gets an impression that, that part is neglected. Is the hon. Minister satisfied that we are going in the right direction with the vigour that is required after forty-five years of freedom to lead towards the objective and avoid this great trap of having the largest number of illiterates in the world, in this country? Thank you!

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, thank you for having given me this opportunity to participate in this discussion. After a long time, they have spoken some naked truths. At the time of independence, education was in the State List. Subsequently, it was transferred to the Concurrent List. Some 400 years back, one Robert De Nobile came to India. When he paid a visit to Madurai, he wrote about the situation then prevailing. He wrote, "Sixteen thousand students were studying in Madurai (in Tamil Nadu) and all the students were Brahmins." That was the statement made by Robert De Nobile some four centuries ago. After that, during the British period, Lord Erskine founded the Educational Policy Filtration Theory according to which he emphasised if we give education to the upper strata of the society, automatically, it will reach the

lower strata of the society. That was the gist of the Filtration Theory. By applying that policy in India, most probably, the upper castes were able to get education. All the ills which we are confronting now are because of these two policies. Number one is manav Dharama Shastra and another is the Filtration Theory applied by Lord Erskine. The time at my disposal is very short. The hon. Member Dr. Pandey, when he was speaking, suggested setting up of a Hindi University by the Central Government. If any Hindi-speaking State establishes a Hindi University, it is a different matter. But if it is established by the Central Government, then it is a serious matter. The Central Government is not a Government meant only for the Hindi-speaking people. If they want to establish universities, they must establish universities in all the languages. Otherwise, they must leave it with the States.

As far as Kendriya Vidyalayas are concerned, I want to submit one thing. In Kendriya Vidyalayas, unless a person knows Hindi, he is not going to get an appointment. That is the present situation. That means, the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru has been thrown to the winds. If a person knows only English, he will not get an appointment. In Tamil Nadu there is a two-language formula. If a person knows only English and if he applies in Kendriya Vidyalaya, he won't get the appointment. Automatically, he is treated as a second class citizen in India itself. He will become a foreigner in Delhi. Another point is, as far as education is concerned, in some States, education is being commercialised. In most of the States it is being commercialised and because of this commercialisation, the poor students are suffering like anything. We have to save the poor students from this kind of exploitation. (Interruptions) I hope the Minister will keep in mind the suggestions given by me while replying to the debate.

Then Sir, for the last three years, I have been observing that not a single Tamil book has been purchased by the Parliament Library. Is this a Library for Hindi-speaking States or is this a library of the Government of India? They are purchasing books

written either in Hindi or in English. They are not at all purchasing books written in Tamil, Telugu, Malayalam or other regional languages. This is one example how Hindi language is dominating at the Centre. Through Navodayas, they wanted to impose Hindi on the non-Hindi speaking people. I think, the hon. Minister will take into account all these things while replying to the debate. What we want is that the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru should be implemented in letter and spirit. With these words, I conclude.

6.00 P. M.

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu) : Madam, after the subject of Education has been transferred to the Concurrent List, the Central Government is not taking into confidence the State Governments, but it wants to override all the State legislations on education and also, through the University Grants Commission, it is controlling the State Governments. Now the Centre wants to encroach upon every field of education, from primary to technical education. So I would like to know from the hon. Minister whether the Government has consulted the State Governments before formulating the revised policy or the National Policy on Education, which States have differed from its views and whether their views have been accepted.

Madam, the Minister in his statement says, 'Based on an indepth review of the whole gamut of educational situation and formulated on the basis of a national consensus, it enunciated a comprehensive framework to guide the development of education in its entirety.' But the fact is contrary to it. From the year 1986 onwards no one in Tamil Nadu could apply for the posts of teachers in Central Schools because knowledge of Hindi was made compulsory for the posts of teachers. Till 1986 there was no problem. The teachers of Central Schools hailing from Tamil Nadu were given President's Medals for their outstanding contribution, but now by making Hindi compulsory, the Centre has debarred them from applying for the posts of teachers in Central Schools. Madam, likewise, the people of Tamil Nadu have been denied the benefit of the Navodaya

Vidyalayas because through these schools the Central Government is trying to impose Hindi in Tamil Nadu. This violates Article 14 of the Constitution which grants equality before law to all citizens. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether he will immediately instruct the authorities concerned to remove this clause making Hindi compulsory for the posts of teachers in Central Schools and whether the Government will start Navodaya Vidyalayas in Tamil Nadu in accordance with the educational norms of Tamil Nadu. Madam, with these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Shri A. P. Gautam

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : Madam, after the Human Resource Development Minister's reply, are you going to take up the statement of the Railway Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : We will take up only the statement and clarifications will be sought tomorrow because both the Ministers have to go to the Lok Sabha for voting on some Constitutional Amendment Bill.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Then let the statement be read out tomorrow itself.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Today he will read the statement.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : After the reply (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Today he will read the statement. It is a very brief statement.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : The Railway Minister will not meet with any accident (Interruption)

श्री अमनद प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश की पुरानी शिक्षा नीति में अमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार ने 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनाई

[श्री आनन्द प्रकाश गोतम]

और उसके बाद उसमें कुछ और राय लेकर कुछ परिवर्तन करने के लिए एक समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1992 में आई है।

उसी के संबंध में पांच और छह तारीख, अभी-अभी कल-परसों एक मीटिंग भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड की माननीय मंत्री जी ने की है और उसमें शायद देश के मुख्य मंत्रियों से भी सलाह ली गई होगी।

हमारा देश जो है, वह गांव में बसता है। नवोदय विद्यालय और तमाम तरह की शिक्षा यहां पर उसमें अभी तक चल रही थी। एक नई शिक्षा नीति जो बिहार के मुख्य मंत्री ने उसकी अवधारणा की है और कनसैप्ट दिया है, वह चरवाहा विश्वविद्यालय है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नई नीति में चारवाहा नीति के कनसैप्ट को आप जोड़ने जा रहे हैं?

दूसरा यह जो नई शिक्षा नीति है, क्या अगले सत्र से आप इसे देश में लागू करने का विचार रखते हैं?

श्री अर्जुन सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, कई आदरणीय सदस्यों ने इस बक्तव्य पर और जो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गई है, उस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : लोक सभा में संविधान संशोधन पर मतदान होना है जिसमें रेल मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री दोनों को पहुंचना है, क्योंकि कोरम बिल वहां पर बज रही है तो बेहतर होगा कि हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्री का उत्तर और रेल मंत्री का स्टेटमेंट और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन कल के लिए रखें। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदया, मैं कल-परसों तो यहां नहीं हूँ। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप अगर संक्षेप में उत्तर दे करके जाना चाहें तो (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : संक्षेप और वहां की घंटी में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन मैं 12 तारीख को, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 12 तारीख को उत्तर दे दूँ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : तो कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) : If he is prepared to be here tomorrow it is all right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : He is not prepared to be here tomorrow. He has to go somewhere. It is his request to reach there.

वहां घंटी बज रही है, वह कह तो रहे हैं कि संक्षेप में और उसमें कोई तालमेल नहीं है। (व्यवधान)

ठीक है आपको अगर 12 तारीख को सुविधाजनक है तो आपका जवाब 12 तारीख को कर लेंगे और रेल मंत्री जी कल अपना स्टेटमेंट दे दें और फिर कल ही स्पष्टीकरण उस पर हो जायेंगे।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE FINANCE BILL, 1992

SECRETARY-GENERAL : Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose the Finance Bill, 1992, as passed